उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3

संख्या-19/2016/325/12-3-2016-100(10)/2015

लखनऊः दिनांक २९ फरवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पी0एम0के0एस0वाई0) की गाईड लाइन्स के अनुसार योजना के सफल संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर एस0एल0एस0सी0 तथा अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल(आई0डी0डब्लू0जी0) एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति(डी0एल0आई0सी0) का गठन किये जाने का प्राविधान है। योजना में दिए गये निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति **(डी0एल0आई0सी0)** का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत।	सदस्य
4. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।	सदस्य
5. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण।	सदस्य
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
7. जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8. जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
9. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
10.अधिशाषी अभियन्ता (सिंचाई)	सदस्य
11.अधिशाषी/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

12.जिला वन अधिकारी	सदस्य
13.अग्रणी बैंक के अधिकारी	सदस्य
14.कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
15.दो प्रगतिशील कृषक	सदस्य
16.जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में कार्यरत अग्रणी एन0जी0ओ0	सदस्य
17.जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधि	सदस्य
18.उप कृषि निदेशक/परियोजना निदेशक(आत्मा)	सदस्य/सचिव

जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति **(**डी**0**एल**0**आई**0**सी**0)** के दायित्व निम्नवत होंगे**-**

(1)- डी0एल0आई0सी0 जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन तथा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के बीच समन्वय करेगी

(2)- डी0एल0आई0सी0 विभिन्न विभागों तथा कार्यदायी संस्थाओं के मध्य समन्वयक के कार्य के साथ-साथ संहत जिला सिंचाई योजना/वार्षिक सिंचाई योजना के सफल संचालन को सुनिश्चित करेगी।

(3)- डी0आई0पी0(डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान) का निर्माण करेगी तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पी0एम0के0एस0वाई0) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं/स्रोतों से प्राप्त धनराशि को दर्शित करते हुए, अनुमोदन एस0एल0एस0सी0 से प्राप्त करेगी।

(4)- जिला सिंचाई योजना के निर्माणोपरान्त तैयार वार्षिक सिंचाई योजना को अनुमोदन हेतु एस0एल0एस0सी0 को अग्रसारित करेगी।

(5)- वार्षिक सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण करेगी तथा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सामयिक रिपोर्ट एस0एल0एस0सी0 को प्रस्तुत करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- डी0आई0पी0 के क्रियान्वयन हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यमों, कृषकों, सम्बन्धित स्थानीय भागीदारों/संस्थाओं आदि की सहभागिता व उनका सहयोग प्राप्त करेगी।

परियोजना निदेशक (आत्मा) एवं आत्मा योजना में उपलब्ध आधारभूत ढांचे के साथ-साथ जनपद व विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों हेतु भी उपयोग में लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गाईड लाइन्स में दिए गये निर्देशों के अनुपालन हेतु जनपद स्तर पर जिला सिंचाई योजना एवं वार्षिक सिंचाई योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं सफल संचालन का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।

प्रवीर कुमार

कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या-325(1)/12-3-16-तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सी0ई0ओ, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पी0डी0, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय पी0ओ0, डूडा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय जी0एम0, डी0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय अधिशाषी अभियन्ता (सिंचाई), उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.समस्त जनपदीय अधिशाषी/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

12.समस्त जिला वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13.समस्त जनपदीय लीड बैंक आफीसर, उत्तर प्रदेश।

14.समस्त जनपदीय, कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश।

15.समस्त जनपदीय, दो प्रगतिशील कृषक द्वारा उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

16.जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में कार्यरत अग्रणी एन0जी0ओ0।

17.जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधि।

18.उप कृषि निदेशक/परियोजना निदेशक (आत्मा)।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in